A I.5 (5)

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख–मउडियार – गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख–मउडियार–गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण) हेतु शासनादेश सं0 2490 /111–(2)/08–61 (प्रा0आ0) /2007 दि0 25.07.2008 के द्वारा 12.00 किमी0 लम्बाई एंव रु0 441.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

यह मार्ग बागेश्वर–दोफाड–धरमघर मोटर मार्ग के किमी0 27 एंव किमी0 33 से प्रारम्भ होता है। शासनादेश की प्रति पृष्ठ सं0 6-8 में संलग्न है। मार्ग में ग्राम मउडियार दूर तक फैला हुआ है। जिस कारण प्रथम 2.500 किमी0, बागेष्वर–दोफाड–धरमघर मोटर मार्ग के किमी0 27 से तथा शेष 9.500 किमी0, किमी0 33 से प्रारम्भ किया गया है। दोनों मार्ग 2.500 किमी0 बनने के बाद आगे को एक ही हो जाते हैं। इसलिए मोटर मार्ग की कुल लम्बाई (2.500+9.500=12.00किमी0) आती है। वर्तमान मोटर मार्ग से लैसानी , होराली, मउडियार वल्ला व पल्ला, सुन्दिल, जुनायल, गवातोली आदि गावों को जोड़ता है। मार्ग का सर्वेक्षण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप अधिक से अधिक ग्रामों को जोड़ते हुए किया गया है। D.P.R के तहत लाभान्वित होने वाले गावों की जनसंख्या। इसकी संख्या 46 पर अंकित है

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु मोटर मार्ग का होना अति आवष्यक है। यातायाता न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। यहा की विषम भौगलिक परिस्थतियों को देखते हुए मोटर मार्गो का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। ताकि गावों से लोगों का पलायन रुके तथा गावों का समुचित विकास हो। यातायात व्यवस्था न होने के कारण यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यातायात सुविधा मिलने पर क्षेत्रवासीयों को अपने कृषि फसल एंव मौसमी फलों एवं सब्जियों का उचित मूल्य मिल पायेगा।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में वन विभाग के 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र में लाल एवं हरे रंग से अलग–अलग दर्शाया गया है।

संरेखण संख्या 1 यह समरेखण मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में सिविल वनभूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नापभूमि कम आती हैं एवं वृक्ष भी कम प्रभावित होते हैं, तकनीकी दृष्टि से मानको के अनुसार कम लागत पर उचित ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस संरेखण में 7 एच0पी0 बैन्ड पड़ते हैं। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी सहमत हैं।

संरेखण संख्या 2 यह समरेखण मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है, इस समरेखण का अधिकाष भाग कच्चे से होकर जाता है तथा आरक्षित भूमि, सिविल भूमि एवं वन पंचायत भूमि अधिक आती है एवं आरक्षित वन भाग में अत्यधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इस संरेखण में 9 एच0पी0 बैन्ड पड़ते हैं। मोटर मार्ग निर्माण हेतु मानको के अनुसार ग्रेड नहीं मिलता है। स्थानीय जनता को इस समरेखन से कोई लाभ भी नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावर्णीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से क्षेत्र के समग्र विकास एंव जनभावनाओं के अनुरुप उपयुक्त पाया गया है। पेड़ों की संख्या कम से कम आये इसके लिए पेड़ों की गणना 7 मीटर चौडाई में ही की गयी है तथा मार्ग का निर्माण भी 7 मीटर चौडाई में ही किया जायेगा।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। 12.00 कि.मी. लम्बाई हेतु 4.410 हैक्टर वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिश[illegible]
निर्माण खंड, [illegible]